HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 47964 of 2026

Jaseem

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P. and Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Pankaj Sharma, Prashant Sharma
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

Court No. - 73

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह आवेदन पत्र , मु०अ०सं० 0405 सन 2022, अन्तर्गत धारा 3/5/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ०प्र० व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना अमरोहा देहात, जनपद अमरोहा में प्रेषित आरोप पत्र, दिनांकित 09.12.2022 से उद्भूत सत्र वाद सं० 284/2023 (State Vs. Rafeek @ rafi and others), जो अपर जिला न्यायाधीश, तृतीय अमरोहा के न्यायालय में लम्बित है एवं इसमें पारित एन०बी०डब्लू०, आदेश दि० 16.12.2022 को अपास्त करने हेतु योजित किया गया है।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामलें के आवेदक के विचारण न्यायालय में अनुपस्थित हो जाने के कारण उनके विरुद्ध उपरोक्त एन०बी०डब्लू० जारी कर दिया गया है, किंतु आवेदक संबंथित विचारण न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होने को तत्पर हैं। इसलिए, उपरोक्त निर्गत एन०बी०डब्लू० को अपास्त कर दिया जाय।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उनके तर्कों का प्रबल विरोध किया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध के दृष्टिगत यह आवेदन पत्र इस समुक्ति के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि यदि आवेदक आज से 15 दिन के अन्दर संबंधित विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करते हैं तथा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

7. उपरोक्त वाद में पारित एन०बी०डब्लू० का क्रियान्वयन आज से 15 दिन के लिए

सुषुप्तावस्था में रहेगा।

8. यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक द्वारा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता तो संबंधित विचारण न्यायालय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 2, 2026
CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad